बिहार सरकार

बिहार सरकार
समाहरणालय, कैमूर (भभुआ)
(जिला गोपनीय शाखा)

दूरभाष सं0– 06189 – 223241 (O)
फैक्स सं0– 06189 – 223301
E-mail - dm-bhabhua.bih@nic.in

पत्रांक 3845 /गो0 दिनांक 20/9/2018

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
कैमूर, भभुआ।

सेवा में,

अपर समहर्त्ता/उप विकास आयुक्त/
जिला मुख्यालय स्थित सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/एवं
जिला मुख्यालय से बाहर स्थित **सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी**,
कैमूर, भभुआ।

विषयः– **दिनांक 04.10.2018 को माल एवं सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत श्रोत पर कर की कटौती (T.D.S.) से संबंधित प्रशिक्षण में भाग लेने के संबंध में।**

प्रसंगः– वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 2712, दिनांक 14.09.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत श्रोत पर कर कटौती संबंधित प्रावधान दिनांक **01.10.2018** से लागु होने जा रहा है। श्रोत पर कर कटौती की प्रक्रिया के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को प्रशिक्षित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु वाणिज्य–कर विभाग, भभुआ के तत्वाधान में **दिनांक 04.10.2018** दिन वृहस्पतिवार को अपराह्न में 02:00 बजे से 05:00 बजे तक माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत **श्रोत पर कर की कटौती से संबंधित विषय पर प्रशिक्षण** का आयोजन जिला पदाधिकारी कार्यालय परिसर अवस्थित **समागार** में किया गया है।

अतः अनुरोध है कि निर्धारित तिथि को उक्त समय एवं स्थान पर प्रशिक्षण में भाग लेना तथा दिनांक 30.09.2018 तक अनिवार्य रूप से माल एवं सेवाकर के अन्तर्गत निबंधन लेना सुनिश्चित करें।

कृप्या इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
कैमूर, भभुआ

ज्ञापांक............................./गो0 दिनांक...

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) को जिले के वेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

20-9-18

जिला पदाधिकारी,
कैमूर, भभुआ

DM-STENO-OFFICE